राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(273)परि/नियम/मु./2007/23257 जयपुर, दिनांक : 03/11/2016

यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 138 सहपठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिए राजस्थान मोटर यान (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2016 का प्रारूप, उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा–प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जायें, 10 दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक, भाग 3 (ख) दिनांक 03.08.2016 को प्रकाशित किया गया था।

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 17.08.2016 को उपलब्ध करा दी गयीं थीं।

और यतः उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 28 की उप–धारा (2) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 8.8 का संशोधन.– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 8.8 के विद्यमान उप–नियम (1–क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(1–क) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चैक पोस्ट पर दी जाने वाली सेवाओं जैसे तोल, डाटा एंट्री, माल की लदाई और उतराई, पार्किंग और अन्य सहबद्ध सेवाओं के लिए सेवा प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो ऐसे चैक पोस्ट पर यान के प्रभारी द्वारा संदत्त किये जायेंगे। भिन्न–भिन्न चैक पोस्टों के लिए भिन्न–भिन्न सेवा प्रभार विनिर्दिष्ट किये जा सकेंगे।"

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव (मु.)

क्रमांकः प.7(273)परि/नियम/मु./2007/23258-270 जयपुर, दिनांक : 03/11/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 03.11.2016 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. विधि (संहिताकरण) विभाग, जयपुर।
9. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
10. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
11. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी......................समस्त।
12. समस्त प्रभारी अधिकारी कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (मु.)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

No. F 7(273)/Pari/Rules/H.Q./2007/ 23257 Jaipur, Dated: 23/11/2016

NOTIFICATION

Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2016, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers powers conferred by section 138 read with section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) was published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, in the Rajasthan Gazette Extra-ordinary part 3(Kha) dated 03.08.2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of fifteen days from the date on which the copies of this notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 17.08.2016;

And whereas, no objection & suggestion received on the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 138 read with section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 8.8.- The existing sub-rule (1-A) of rule 8.8 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990 shall be substituted by the following, namely:-

"(1-A) The State Government may, by notification in the Official Gazette, specify the service charges for the services such as weighment, data entry, loading and unloading of goods, parking and other allied services offered at the check posts which shall be paid by the In-charge of the vehicle at such check post. Different service charges may be specified for the different check posts."

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

No. F 7(273)/Pari/Rules/H.Q./2007/23258-270 Jaipur, Dated: 03.11.2016

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Superintendent, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated 03.11.2016 and a copy thereof may be sent to this department.
2. P.S. to Secretary, Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. S.A. to Hon'ble Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. S.A. to Hon'ble State Minister, Department of Transport, Rajasthan, Jaipur.
5. P.S. to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
6. P.S. to Principal Secretary and Transport Commissioner to the Government of Rajasthan, Jaipur.
7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
8. Law (Cordification) Department, Jaipur.
9. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
10. Shri Sanjay Singhal, S.A. for updating departmental website.
11. All Regional/Addl. Regional /District Transport Officers.
12. All Officer In-charge Tax Collection Centers of Transport Department.
13. Guard file.

Joint Secretary to the Government